तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज पुरूषोतम राठी बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 69 / 2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.05.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी पुरूषोतम राठी पुत्र रामविलास मार्फत राठी सेल्स एजेन्सी, रातानाडा जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.03.18 में उसके द्वारा (1) अरविन्द जैन द्वारा भेजे गये पत्र की कापी उपलब्ध करवाने के संबंध में , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 615 दिनांक 18.05.18 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित होने के कारण प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा से रिपोर्ट मांगने पर उन्होंने अवगत कराया कि अरविन्द जैन द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 14.02.18 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मूल ही कार्यालय के पत्रांक 647 दिनांक 21.02.18 द्वारा पुलिस उपायुक्त(पूर्व) जोधपुर को प्रेषित किया गया। अपील मीमों के साथ संलग्न दस्तावेज का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी / प्रार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बाबत् सूचना चाही गई, उस बाबत् लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्रांक 498 दिनांक 23.04.18 द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से सूचित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में यह अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner